



## सैमसंग फाइनेंस + के तहत ऋण के लिए सामान्य नियम और शर्तें

मैंने डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 ("डीएमआई") में है, द्वारा मुझे प्रदान किए गए सुरक्षित उपभोक्ता ऋण के संबंध में इन सामान्य नियमों और शर्तों ("टी एंड सी") को स्वीकार कर लिया है, जिसमें इन टी एंड सी को स्वीकार करने के लिए डीएमआई द्वारा भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड ("ओटीपी") को दर्ज करके इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे और ये मेरे लिए बाध्यकारी होंगे। प्रासंगिक स्थानीय भाषा में इस टी एंड सी की एक अनुवादित प्रति डीएमआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे मेरे मांगने पर उपलब्ध भी कराया जा सकता है।

### 1. परिभाषाएं

1.1 इस नियम एवं शर्त में निहित नियम एवं अभिव्यक्तियाँ निम्नानुसार परिभाषित हैं:

"**एप्लिकेशन**" का अर्थ सैमसंग फाइनेंस + या सैमसंग द्वारा उत्पाद पर प्रदान किया गया अन्य एप्लिकेशन होगा;

"**उपलब्धता अवधि**" का अर्थ है, यदि उधारकर्ता ने क्रेडिट लाइन का विकल्प चुना है, तो वह अवधि जिसके भीतर उधारकर्ता स्वीकृत सुविधा के विरुद्ध स्वीकृत ऋण की निकासी का अनुरोध कर सकता है, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया गया है;

"**उपलब्ध सुविधा**" का अर्थ है, यदि उधारकर्ता ने क्रेडिट लाइन का विकल्प चुना है, तो स्वीकृत सुविधा की अप्रयुक्त राशि;

"**उधारकर्ता**" का तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण में वर्णित उधारकर्ता/आवेदक से है और इसमें कोई भी कानूनी वारिस और उत्तराधिकारी शामिल हैं;

"**उधारकर्ता की देयताएं**" का अर्थ है, स्वीकृत ऋण के लिए उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को देय सभी राशियाँ, जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई भी बकाया मूल राशि, ब्याज, यदि कोई हो, और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार इसके संबंध में देय अन्य शुल्क, लागत और व्यय शामिल हैं;

"**कूलिंग ऑफ पीरियड**" से तात्पर्य प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट अवधि से है, और उधारकर्ता को वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने के लिए दी गई अवधि है, यदि उधारकर्ता ऐसे स्वीकृत ऋण को जारी न रखने का निर्णय लेता है;

किसी भी उधारकर्ता की देयताओं के संबंध में किसी भी भुगतान के संबंध में "**देय तिथि**" का अर्थ वह तिथि है जिस पर वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार किसी भी स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता से डीएमआई को कोई राशि देय होती है।

"**ईपीआई**" का अर्थ पुनर्भुगतान की समतुल्य या निश्चित राशि है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों घटक शामिल हैं, जिसे उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए निश्चित अंतरालों पर (मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार) भुगतान किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृत ऋण की अवधि के भीतर स्वीकृत ऋण का पूर्ण परिशोधन हो जाएगा।

"**वित्तपोषण दस्तावेज**" का अर्थ प्रत्येक स्वीकृत ऋण के संबंध में ये नियम व शर्तें, ऋण आवेदन, स्वीकृत ऋण के संबंध में जारी मुख्य तथ्य विवरण, इसके अनुलग्नकों सहित और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या स्वीकृत ऋण के संबंध में डीएमआई द्वारा अपेक्षित किसी भी दस्तावेज, समय-समय पर संशोधित;

"**ब्याज**" का अर्थ है ऐसे स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि पर प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान की गई दर और तरीके से देय ब्याज।

"**मुख्य तथ्य विवरण**" का अर्थ है स्वीकृत ऋण के मुख्य तथ्यों और शर्तों का विवरण, सरल और समझने में आसान भाषा में, डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को लागू कानून के तहत निर्धारित मानकीकृत प्रारूप में प्रदान किया गया, जिसमें अन्य आवश्यक जानकारी के अलावा, वार्षिक प्रतिशत दर का विवरण, संग्रह एजेंसी का विवरण, यदि कोई हो, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग ऑफ अवधि, आदि शामिल हैं;

"**विलंब भुगतान शुल्क**" का अर्थ है चेक के अनादर या मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित किसी भी अधिदेश के कारण डिफॉल्ट की घटना के मामले में उधारकर्ता द्वारा देय बाउंस शुल्क, ऐसे अनादर की प्रत्येक घटना के लिए;

"**ऋण आवेदन**" का अर्थ है स्वीकृत ऋण/स्वीकृत सुविधा प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को प्रस्तुत किया गया निर्धारित प्रपत्र में आवेदन;

"**भौतिक प्रतिकूल प्रभाव**" का अर्थ है कोई भी घटना जो डीएमआई की राय में (i) उधारकर्ता की देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता या (ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई के अधिकारों और उपायों या (iii) उधारकर्ता की देनदारियों की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। डीएमआई द्वारा किसी घटना को भौतिक प्रतिकूल प्रभाव माना जाना चाहिए या नहीं, इस पर कोई भी निर्धारण उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा;

"**अतिदेय शुल्क**" का अर्थ है **दंडात्मक शुल्क**, जैसा कि संबंधित मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित है, जो उन सभी राशियों पर देय है जिनका भुगतान उनकी संबंधित देय तिथियों पर नहीं किया जाता है। अतिदेय शुल्कों को डीएमआई द्वारा पूंजीकृत नहीं किया जाएगा, अर्थात् ऐसे अतिदेय शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा;

"**आईटी और डिजिटल उपकरण**" का अर्थ, अन्य बातों के साथ-साथ, एयर-कंडीशनर, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर या सैमसंग द्वारा समय-समय पर अधिकृत कोई अन्य उत्पाद होगा।

"**गोपनीयता नीति**" का अर्थ है डीएमआई की गोपनीयता नीति जो <https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/> पर उपलब्ध है;

"**मोबाइल डिवाइस**" का तात्पर्य सैमसंग द्वारा निर्मित मोबाइल डिवाइस से होगा;

"**उत्पाद**" का अर्थ होगा और इसमें सैमसंग द्वारा निर्मित और डीएमआई द्वारा अनुमोदित कोई भी मोबाइल डिवाइस, स्मार्ट टेलीविजन, आईटी और डिजिटल उपकरण या कोई अन्य ऐसा उपकरण शामिल होगा, जिसकी खरीद के लिए उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण की मांग की जाती है और उस उत्पाद की पहचान ऐसी खरीद के लिए प्रदान किए गए स्वीकृत ऋण के संबंध में जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरण में की जाएगी;

"**उद्देश्य**" का अर्थ विक्रेता से उत्पाद की खरीद के लिए स्वीकृत ऋण का उपयोग है, जैसा कि ऐसे स्वीकृत ऋण के लिए जारी मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित है;

"**सैमसंग**" का तात्पर्य सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड होगा;

"**स्वीकृत सुविधा**" का अर्थ है, ऐसे मामलों में जहाँ उधारकर्ता ने ऋण की एक लाइन का विकल्प चुना है, डीएमआई द्वारा ऐसी ऋण लाइन के लिए स्वीकृत अधिकतम राशि, जिसके विरुद्ध डीएमआई समय-समय पर स्वीकृत ऋणों के वितरण की अनुमति दे सकता है। स्वीकृत सुविधा एक परिक्रामी ऋण रेखा नहीं होगी।

"**स्वीकृत ऋण**" का तात्पर्य उस राशि से होगा जिसे ऋणदाता द्वारा किसी विक्रेता से उत्पाद खरीदने के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों और ऐसे स्वीकृत ऋणों के लिए जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार निकाला जा सकता है;

"**स्मार्ट टेलीविजन**" का तात्पर्य सैमसंग द्वारा निर्मित स्मार्ट टेलीविजन से होगा।

"**विक्रेता**" का तात्पर्य सैमसंग डीलर से होगा, जिसे समय-समय पर डीएमआई द्वारा अनुमोदित किया जाता है और प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में विस्तृत रूप से बताया जाता है, जिससे उधारकर्ता वित्तपोषित उत्पाद खरीद रहा है।

1.1ए. इस नियम एवं शर्तों में, (क) एकवचन में बहुवचन शामिल है (और इसके विपरीत) और (ख) लिंग के संदर्भ में महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग के संदर्भ शामिल होंगे।



## 2. स्वीकृति और संवितरण

- 2.1 उधारकर्ता द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर, डीएमआई ने वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों पर उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। यदि उधारकर्ता ने क्रेडिट लाइन का विकल्प चुना है और उसे स्वीकृत किया गया है, तो उधारकर्ता उपलब्धता अवधि के दौरान किसी भी समय, उपलब्ध सुविधा की सीमा तक किसी भी राशि के संवितरण का अनुरोध करें। डीएमआई के पास ऐसे अनुरोध को अनुमति देने या अस्वीकार करने का एकमात्र और पूर्ण विवेक होगा। यदि डीएमआई ऐसे अनुरोध को मंजूरी देता है, तो उसे वित्तपोषण दस्तावेजों (एसे स्वीकृत ऋण के संबंध में जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरण सहित) के अनुसार स्वीकृत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। उधारकर्ता समझता है कि (i) स्वीकृत ऋण का संवितरण डीएमआई द्वारा अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार उधारकर्ता सत्यापन और उसकी संतुष्टि के लिए जांच के पूरा होने के अधीन है और यदि ऐसा सत्यापन संतोषजनक नहीं है, तो डीएमआई स्वीकृत ऋण को रद्द करने का हकदार होगा; (ii) स्वीकृत ऋण, यदि रद्द नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर / स्वीकृति के 72 घंटे के भीतर वितरित किया जाएगा। उधारकर्ता समझता है कि उधारकर्ता को प्रदान की गई ऋण सीमा डी.एम.आई. के आंतरिक मानदंडों और एकमात्र विवेक के अनुसार है और डी.एम.आई. द्वारा किसी भी समय अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर इसे रद्द या निरस्त किया जा सकता है। स्वीकृत ऋण के किसी भी रद्दीकरण की सूचना उधारकर्ता को विधिवत दी जाएगी।
- 2.2 उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि स्वीकृत ऋण को प्रयोजन के लिए सीधे विक्रेता को वितरित किया जा सकता है और ऐसे संवितरण को उधारकर्ता को संवितरण माना जाएगा।
- 2.3 उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही उस पर माल एवं सेवा कर भी देना होगा, जिसे वितरित स्वीकृत ऋण से रखा जा सकता है और उसे उधारकर्ता को वितरित किया गया माना जाएगा तथा उधारकर्ता तदनुसार संपूर्ण स्वीकृत ऋण के लिए उत्तरदायी होगा।
- 2.4 उधारकर्ता डीएमआई के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने स्वीकृत ऋण, बकाया राशि का विवरण देख सकते हैं और पुनर्भुगतान भी कर सकते हैं।
- 2.5 उधारकर्ता को कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके, बिना किसी दंड के, वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा। लुक-अप अवधि के बाद भी स्वीकृत ऋण जारी रखने वाले उधारकर्ताओं के लिए, डीएमआई की पूर्व स्वीकृति के साथ ही पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाएगी और ऐसी शर्तों और पूर्व-भुगतान शुल्कों के अधीन होगी, जैसा कि डीएमआई द्वारा मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित किया गया है।
3. **ब्याज और पुनर्भुगतान**
- 3.1 उधारकर्ता स्वीकृत ऋण की अवधि के दौरान प्रत्येक देय तिथि पर ईपीआई के माध्यम से बकाया स्वीकृत ऋण को ब्याज सहित, यदि कोई हो, चुकाएगा (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया गया है)। ईपीआई की गणना डीएमआई द्वारा स्वीकृत ऋण और उस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, के परिशोधन के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर की जाएगी और मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान की गई अधिकतम ईपीआई से अधिक नहीं होगी। ईपीआई केवल स्वीकृत ऋण और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, के विरुद्ध बकाया मूलधन के प्रति होगा और इसमें वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा देय कोई अतिदेय शुल्क या कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है। पहले ईपीआई की राशि और तिथि स्वीकृत ऋण के संवितरण की तिथि के आधार पर बदल सकती है और ऐसी संशोधित तिथि और राशि उधारकर्ता को ऐसे भुगतान के लिए देय तिथि से पहले सूचित कर दी जाएगी। डीएमआई के प्रति उधारकर्ता की देयता तभी समाप्त हो जाएगी जब ऋण खाते में बकाया राशि और सभी प्रभार (मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार) शून्य हो जाएंगे।
- 3.2 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि शून्य ब्याज स्वीकृत ऋण के मामले में, विक्रेता/सैमसंग द्वारा डीएमआई (स्वीकृत ऋण की मूल अवधि के लिए) को एकमुश्त गैर-वापसी योग्य अग्रिम छूट के माध्यम से रिटर्न उपलब्ध कराया जाता है, जो डीएमआई और विक्रेता/सैमसंग के बीच पारस्परिक रूप से सहमत सैमसंग/विक्रेता द्वारा प्रदान किया जाता है। यदि किसी भी कारण से उक्त ऋण की अवधि मूल अवधि से आगे बढ़ाई जाती है, तो उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि के साथ-साथ अतिदेय शुल्क, विलंबित भुगतान शुल्क और ऐसे अन्य ब्याज/शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है।
- 3.3 प्रत्येक ईपीआई का समय पर भुगतान अनुबंध का सार है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने ईपीआई की गणना की विधि को समझ लिया है और वह इस पर विवाद नहीं करेगा।
- 3.4 **यदि किसी ईपीआई का भुगतान उसकी नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता को देरी की अवधि के लिए उस पर अतिदेय शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में बताया गया है। उपरोक्त बातें डीएमआई के किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं जो इस समझौते के तहत या उधारकर्ता द्वारा देय तिथियों पर उधारकर्ता के बकाया का भुगतान करने में चूक के संबंध में लागू कानून के तहत हो सकते हैं।**
- 3.5 वित्तीय दस्तावेजों में कहीं और कहीं नहीं किसी भी बात के बावजूद, उधारकर्ता की सभी बकाया राशि, उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को डीएमआई द्वारा मांगे जाने पर, अपने विवेकानुसार और बिना किसी कारण बताए देय होगी। उधारकर्ता को ऐसी राशि, बिना किसी देरी या आपत्ति के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर चुकानी होगी।
- 3.6 डीएमआई ब्याज दर/किसी अन्य शुल्क को संशोधित करने का हकदार होगा, और डीएमआई बकाया स्वीकृत ऋण और ब्याज, यदि कोई हो, के पुनर्भुगतान के लिए ईपीआई/ईपीआई की संख्या की पुनर्गणना कर सकता है। ऐसा कोई भी परिवर्तन डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा, और भावी रूप से लागू होगा और उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे संशोधन के मामले में उधारकर्ता ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, बिना किसी पूर्व भुगतान दंड के, अर्जित ब्याज (यदि लागू हो) के साथ संपूर्ण बकाया स्वीकृत ऋण का पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा।
- 3.7 ऋणकर्ता को सभी शुल्क, उपकर और अन्य प्रकार के करों का वहन करना होगा, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, जो किसी भी कानून के तहत किसी भी समय वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में देय होंगे। ऋणकर्ता डीएमआई द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों को लागू करने या स्वीकृत ऋणों के संबंध में कोई भी वसूली कार्यवाही करने में देय सभी राशियों और सभी लागतों, शुल्कों, लेवी आदि के लिए उत्तरदायी होगा। ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि यदि इन नियमों और शर्तों पर कोई स्टाम्प शुल्क लागू होता है तो ऋणकर्ता इसके लिए उत्तरदायी होगा। यदि डीएमआई द्वारा उपर्युक्त कोई भी शुल्क, शुल्क, कर और लागत वहन की जाती है, तो ये ऋणकर्ता से वसूल किए जाएंगे और भुगतान की तिथि से प्रतिपूर्ति तक अतिदेय शुल्क वहन करेंगे।
- 3.8 वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी विपरीत नियम व शर्तों के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि को सबसे पहले लागत, प्रभार, व्यय और अन्य धनराशियों के लिए; दूसरे, अतिदेय प्रभारों (यदि कोई हो) के लिए; तीसरे, ब्याज के लिए; और अंत में स्वीकृत ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए विनियोजित किया जाएगा।
- 3.9 ब्याज (यदि लागू हो), अतिदेय प्रभार और अन्य सभी प्रभार दिन-प्रतिदिन अर्जित होंगे और उनकी गणना 30/360 दिन की परंपरा के आधार पर की जाएगी।
- 3.10 यदि किसी भुगतान की देय तिथि कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान तुरंत अगले व्यावसायिक दिन पर किया जाएगा।
- 3.11 डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा देय सभी राशि बिना किसी कटौती के चुकाई जाएगी। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल देय राशि की वसूली पर ही दिया जाएगा।
- 3.12 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ब्याज दर, दंडात्मक/अतिदेय शुल्क, सेवा शुल्क और अन्य देय शुल्क और/या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए सहमत शुल्क उसके लिए उचित और स्वीकार्य हैं।

## 4. भुगतान, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान का तरीका

- 4.1 ऋण लेने वाले को, समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपेक्षित अनुसार, बकाया राशि के भुगतान के लिए ऋण लेने वाले के बैंक खाते के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा अधिसूचित ईसीएस/राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (डेबिट समाशोधन)/कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन अधिदेश (सामूहिक रूप से "अधिदेश" के रूप में संदर्भित) प्रदान करना होगा। ऐसा अधिदेश ऋण लेने वाले के ऐसे बैंक खाते से निकाला जाएगा जो डीएमआई को स्वीकार्य हो। ऋण लेने वाले को अधिदेश की देय तिथियों/पहली प्रस्तुति पर बिना चूके



सभी भुगतानों का सम्मान करना होगा। ऋण लेने वाले द्वारा प्रदान किए गए अधिदेश का उपयोग डीएमआई द्वारा ऋण लेने वाले के किसी भी बकाए की वसूली के लिए किया जा सकता है। ऋण लेने वाला इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डीएमआई को ऋण लेने वाले को अग्रिम सूचना देने या न देने के साथ, ऐसी वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता को तुरंत (और किसी भी स्थिति में सात (7) दिनों के भीतर) उधारकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए निष्पादित किए गए अधिदेश और/या अन्य दस्तावेजों को बदलना होगा, जैसा कि समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपने विवेक पर आवश्यक हो सकता है। अधिदेश पंजीकरण की अस्वीकृति के मामले में, उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार एनएसीएच/अधिदेश अस्वीकृति शुल्क का भी भुगतान करेगा।

4.2 उधारकर्ता को हर समय अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि रखनी होगी ताकि वह संबंधित देय तिथियों पर उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान कर सके। उधारकर्ता उस बैंक खाते को बंद नहीं करेगा जिससे अधिदेश जारी किया गया है या अधिदेश के तहत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए बैंक या डीएमआई को निर्देश जारी नहीं करेगा और डीएमआई ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे किसी भी निर्देश को भी डिफॉल्ट की घटना माना जाएगा।

4.3 उधारकर्ता द्वारा दिया गया अधिदेश उस अधिदेश की संबंधित तिथि तक वैध रहेगा और उधारकर्ता यह दावा नहीं करेगा कि ग्राहक द्वारा दिया गया ईसीएस/एनएसीएच अधिदेश या ऐसा कोई अन्य अधिदेश किसी भी कारण से अमान्य है।

4.4 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि यह अधिदेश उधारकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए स्वेच्छा से जारी किया गया है, न कि किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा के रूप में। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी अधिदेश का अनादर करना परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881/भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के तहत एक आपराधिक अपराध है। उधारकर्ता प्रत्येक अधिदेश अनादर के लिए विलंब भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित है)।

4.5 किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या मतभेद, उधारकर्ता को किसी भी ईपीआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देगा और डीएमआई को देय तिथियों पर अधिदेश प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

4.6 अधिदेश जारी होने के बावजूद, ऋणदाता बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

4.7 इसके अतिरिक्त, डीएमआई एनईएफटी/आरटीजीएस/भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से भी भुगतान स्वीकार करेगा और उधारकर्ता(ओं) को उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आवश्यक होने पर ऐसे विकल्पों का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकते हैं। हालाँकि, उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश के अलावा अन्य तरीकों से बकाया राशि का भुगतान करने की स्थिति में, लेन-देन के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और उधारकर्ता से वसूला जाएगा।

## 5. उधारकर्ता की शर्तें, प्रतिनिधित्व और वारंटी

5.1 उधारकर्ता को:

(i) वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का पालन एवं निष्पादन करना।

(ii) डीएमआई को सभी दस्तावेज तुरंत सौंपे, जिसमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जैसा कि डीएमआई द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो सकता है। उधारकर्ता डीएमआई को स्वतंत्र रूप से (i) किसी भी बैंक के साथ संवाद करने के लिए अधिकृत करता है, जहां उधारकर्ता का खाता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण मांगता है और (ii) किसी भी उधारकर्ता के किसी भी नियोक्ता के साथ डीएमआई द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, उधारकर्ता की ऋण-योग्यता की निगरानी के लिए भी अधिकृत करता है।

(iii) किसी भी उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की सूचना तुरंत डीएमआई को दे।

(iv) किसी भी भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में डीएमआई को सूचित करें।

(v) कार्यालय/निवास/व्यवसाय के स्थान/पते में सभी परिवर्तनों या रोजगार/पेशे/व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन/त्यागपत्र/समाप्ति/बंद होने की लिखित सूचना डीएमआई को दे।

(vi) रोजगार या व्यवसाय के लिए भारत नहीं छोड़ना चाहिए या विदेश में लंबी अवधि तक नहीं रहना चाहिए, तब तक स्वीकृत ऋण की बकाया राशि को ब्याज और अन्य बकाया राशि और शुल्क सहित पूरी तरह से चुकाना नहीं चाहिए।

(vii) मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्वीकृत ऋण का उपयोग नहीं किया जाएगा और विशेष रूप से इसका उपयोग (क) पूंजी बाजारों में किसी भी निवेश के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (ख) प्राथमिक सोने, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (ग) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए या (घ) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

(viii) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार या किसी भी उधारकर्ता की ऋण पात्रता में किसी भी परिवर्तन (डीएमआई द्वारा निर्धारित) के मामले में डीएमआई द्वारा अपेक्षित अनुसार सुरक्षा प्रदान करना।

(ix) वेतन और/या व्यावसायिक आय को उस खाते में जमा करना सुनिश्चित करें जिससे डीएमआई को अधिदेश जारी किया गया है।

(x) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करें।

(xi) स्वीकृत ऋण का उपयोग केवल उद्देश्य के लिए करें।

(xii) चूँकि एप्लीकेशन, स्वीकृत ऋण की स्थिति, पुनर्भुगतान की तारीख, अनुस्मारक आदि के लिए उधारकर्ता के साथ संचार का एक सहमत तरीका है, उधारकर्ता उत्पाद से एप्लीकेशन को हटाएगा या हटाएगा नहीं या ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो एप्लीकेशन के संचालन को बाधित/प्रतिबंधित/अक्षम/संशोधित कर सकती है।

5.2 स्वीकृति के वितरण के तुरंत बाद उत्पाद डीएमआई के पक्ष में बंधक हो जाएगा और उधारकर्ता ऐसे बंधक के निर्माण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करने का वचन देता है।

5.3 उधारकर्ता डीएमआई के समक्ष निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और वारंट करता है:

(i) ऋण आवेदन में उधारकर्ता द्वारा दी गई सभी जानकारी और अन्य दस्तावेज, चाहे वह उधारकर्ता की ऋण पात्रता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो या न हो, सत्य और सही है और किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है;

(ii) ऋणकर्ता सभी लागू कानूनों के तहत वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके तहत लेनदेन को निष्पादित करने और निष्पादित करने में सक्षम और हकदार है;

(iii) उधारकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक है और वित्तपोषण दस्तावेज उसके लिए कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व हैं, जो उसकी शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं;

(iv) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि उसे इस स्वीकृत सुविधा / स्वीकृत ऋण का लाभ उठाने से किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है;

(v) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि वह समझता है और उसने मुख्य तथ्य विवरण और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार स्वीकृत सुविधा / स्वीकृत ऋण को अपनी स्वतंत्र इच्छा से और किसी तीसरे पक्ष के दबाव/प्रभाव/दबाव के बिना प्राप्त करने के लिए सहमति दी है।

(vi) ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो डीएमआई के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसकी देयता को प्रभावित करेगी;

(vii) उधारकर्ता किसी भी कर या सरकारी बकाया का भुगतान करने में चूककर्ता नहीं है;

(viii) ऋणकर्ता वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों को प्रभावी करने के लिए डीएमआई द्वारा अपेक्षित सभी कार्य, कर्म और चीजें करेगा;

(ix) उधारकर्ता के विरुद्ध कोई दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही नहीं चल रही है।

(x) स्वीकृत सुविधा के माध्यम से किसी भी आईटी और डिजिटल उपकरणों की खरीद के मामले में, उधारकर्ता यह समझता है और स्वीकार करता है कि ग्राहक सहायता इंजीनियर, इंस्टॉलेशन/सेटअप इंजीनियर को उत्पाद इंस्टॉलेशन स्थान पर जाने और इंटरनेट न होने की स्थिति में स्वयं के हॉटस्पॉट का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए या ग्राहक के व्यक्तिगत मोबाइल डिवाइस पर स्मार्टथिंग्स एप्लिकेशन सहित एप्लिकेशन/सेवा को इंस्टॉल करने के लिए दूरस्थ पहुंच दी जानी चाहिए।



- (xi) स्वीकृत सुविधा के माध्यम से किसी भी स्मार्ट टेलीविज़न की खरीद के मामले में, उधारकर्ता समझता है और स्वीकार करता है कि ग्राहक सहायता इंजीनियर, इंस्टॉलेशन/सेटअप इंजीनियर को टीवी इंस्टॉलेशन स्थान पर जाने और इंटरनेट न होने की स्थिति में अपने हॉटस्पॉट का उपयोग करने या स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन (सैमसंग स्मार्ट अपग्रेड) को इंस्टॉल करने के लिए रिमोट एक्सेस दिए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि उधारकर्ता की ओर से उपयोगकर्ता या इंजीनियर द्वारा स्मार्ट टीवी नियम और शर्तें स्वीकार की जानी चाहिए। यह स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन (सैमसंग स्मार्ट अपग्रेड) के साथ खरीदे गए स्मार्ट टीवी की नई खरीद या मरम्मत पर लागू होता है।
- 5.4 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने डीएमआई गोपनीयता नीति पढ़ ली है, और उस पर अपनी सहमति दे दी है। उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई या अन्यथा डीएमआई द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग, भंडारण और प्रसंस्करण करने के लिए अपनी सहमति देता है, डीएमआई की गोपनीयता नीति में विस्तृत उद्देश्यों और तरीके के लिए सहमति के अनुसार, जिसमें बिना किसी सीमा के स्वीकृत ऋण प्रदान करने और उसकी निगरानी, उसके पुनर्भुगतान और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुपालन और गोपनीयता नीति में विस्तृत डीएमआई की व्यावसायिक आवश्यकताओं के उद्देश्य शामिल हैं। उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि डीएमआई लागू कानून के अधीन, अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी भी अन्य तीसरे पक्ष को आवश्यकता के आधार पर या डीएमआई गोपनीयता नीति में प्रदान किए गए अनुसार या किसी वैधानिक / नियामक आवश्यकता के अनुसार आवश्यक हो सकता है।
- 5.5 उधारकर्ता भी नीचे दी गई बातों से सहमत होता है, वचनबद्धता रखता है और प्रतिज्ञा करता है:
- (i) किसी भी उत्पाद के खरीद मूल्य में किसी भी वृद्धि के कारण उधारकर्ता स्वीकृत ऋण में किसी भी वृद्धि का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, खरीद मूल्य में किसी भी कमी की स्थिति में, डीएमआई अपने विवेक से स्वीकृत ऋण की मूल राशि को कम कर सकता है;
- (ii) विक्रेता विशेष रूप से उत्पाद की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होगा और डीएमआई उत्पाद की डिलीवरी या गैर-डिलीवरी में किसी भी देरी के लिए और/या उक्त उत्पाद की गुणवत्ता, स्थिति, फिटनेस, उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा;
- (iii) उत्पाद पर खरीदी गई कोई भी वारंटी उत्पाद के निर्माता द्वारा प्रदान की गई तृतीय पक्ष सेवा है और डीएमआई ऐसी वारंटी के लिए उत्तरदायी नहीं है;
- (iv) उत्पाद रद्दीकरण के मामले में, डीएमआई प्रासंगिक स्वीकृत ऋण को केवल तभी चुकाया हुआ मानेगा जब विक्रेता ऋणदाता द्वारा विक्रेता की वापसी नीति के अनुपालन पर डीएमआई को राशि वापस कर दे। इस तरह की वापसी के मामले में, डीएमआई ऋणदाता द्वारा भुगतान की गई ईपीआई, यदि कोई हो, को खरीद और वापसी के बीच की अवधि के लिए ब्याज (यदि कोई हो) घटाकर वापस कर देगा, और स्वीकृत ऋण को पूरी तरह से चुका हुआ मान लेगा। प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी;
- (v) डीएमआई की सहमति के बिना उधारकर्ता उत्पाद का आंशिक कब्जा या स्वामित्व नहीं लेगा या उस पर कोई तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाएगा;
- (vi) डीएमआई के पास उत्पाद पर पहला और अनन्य प्रभार होगा।
- 5.6 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि स्वीकृत सुविधा के संबंध में किसी भी विवाद, शिकायत, शिकायत, दावे आदि के लिए सैमसंग किसी भी तरह से उत्तरदायी और/या जिम्मेदार नहीं होगा। डीएमआई यह वचन देता है और घोषणा करता है कि स्वीकृत ऋण के संबंध में किसी भी विवाद, शिकायत, शिकायत, दावे आदि का समाधान और/या निपटान डीएमआई द्वारा किया जाएगा, सैमसंग की सहायता के बिना।
6. **डिफॉल्ट की घटनाएँ**
- 6.1 निम्नलिखित कार्य/घटनाएँ, प्रत्येक स्वीकृत सुविधा/स्वीकृत ऋण के प्रयोजनों के लिए उधारकर्ता द्वारा "चूक की घटना" मानी जाएँगी:
- (i) उधारकर्ता निर्धारित तिथि पर किसी भी उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है;
- (ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्त, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन;
- (iii) उधारकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना, जिससे स्वीकृत सुविधा या कोई स्वीकृत ऋण देने के डीएमआई के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो;
- (iv) उधारकर्ता की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता;
- (v) उधारकर्ता स्वीकृत ऋण / स्वीकृत सुविधा का उपयोग उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है या वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है;
- (vi) किसी भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी परिवर्तन सहित) का घटित होना, जो डीएमआई के एकमात्र और पूर्ण विचार में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसमें उधारकर्ता के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा या उसकी किसी भी संपत्ति की कुर्की/प्रतिबंध शामिल है।
- 6.2 निर्णय कि चूक की घटना घटित हुई है या नहीं, उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
7. **चूक के परिणाम**
- 7.1 किसी भी डिफॉल्ट की घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को किसी भी स्वीकृत ऋण / स्वीकृत सुविधा के विरुद्ध सभी संवितरणों को रोकने, स्वीकृत ऋण के संबंध में बकाया सभी राशियों को, चाहे देय हों या नहीं, तुरंत चुकाने योग्य घोषित करने का अधिकार होगा, लेकिन यह दायित्व नहीं होगा और यदि उधारकर्ता 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीएमआई अपने विवेक से किसी भी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो डीएमआई को किसी भी लागू कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है, जिसमें उधारकर्ता या उनकी संपत्तियों के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है। पूर्वोक्त के बावजूद, यदि उधारकर्ता ऐसे भुगतान की देय तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीएमआई को अन्य बातों के साथ-साथ उसे एक गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने और क्रेडिट ब्यूरो को तदनुसार रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।
- 7.2 किसी भी डिफॉल्ट की घटना के होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को लागू कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उत्पाद का कब्जा लेने का बिना शर्त अधिकार होगा, जिसमें कब्जा लेने से पहले उधारकर्ता को उचित नोटिस देना भी शामिल है, और उधारकर्ता उत्पाद के संबंध में अपने अधिकारों / सुरक्षा हित को लागू करने की डीएमआई की क्षमता को प्रभावित करने के लिए इसमें बाधा नहीं डालेगा या इसे रोकेगा नहीं। डीएमआई किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी हुए बिना, सार्वजनिक या निजी नीलामी या निजी बिक्री द्वारा उत्पाद को बेचने, किराए पर देने या अन्यथा सौदा करने का हकदार होगा, और इससे प्राप्त शुद्ध आय को सबसे पहले कब्जा लेने या ऐसी बिक्री के संबंध में हुए सभी लागतों की संतुष्टि के लिए लागू करेगा, और/या दूसरी बात ब्याज के शेष और उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को देय अन्य राशियों के भुगतान के लिए और फिर स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि के लिए कटौती करेगा हालाँकि, यदि कोई कमी है, तो उसे उधारकर्ता द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और डीएमआई द्वारा उत्पाद का कब्जा या बिक्री उधारकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। हालाँकि, डीएमआई उत्पाद को उधारकर्ता को सौंप देगा यदि उत्पाद की बिक्री पूरी होने से पहले डीएमआई की संतुष्टि के लिए सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।
- 7.3 उधारकर्ता पूर्वोक्त चूकों या डीएमआई उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न सभी कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा।
8. **खुलासे**
- 8.1 उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को उधारकर्ता, स्वीकृत ऋण, उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी चूक से संबंधित सभी जानकारी और डेटा को ऐसे तृतीय पक्ष/एजेंसियों को प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है, जिन्हें डीएमआई स्वीकृत ऋण के संबंध में अपने अधिकारों और उपायों के प्रयोग के लिए और/या ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल लिमिटेड ("सीआईबीआईएल") सहित आरबीआई द्वारा अधिकृत के रूप में प्रकट करना उचित और आवश्यक समझे। उधारकर्ता इस तरह की जानकारी को डीएमआई/तृतीय





- पक्ष/सीआईबीआईएल/आरबीआई द्वारा उपयोग और संसाधित करने के लिए भी स्वीकार करता है और अधिकृत करता है, जैसा वे उचित समझें और लागू कानूनों के अनुसार। इसके अलावा, चूक की स्थिति में, डीएमआई और ऐसी एजेंसियों को उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों का नाम, जहां लागू हो, 'चूककर्ता' के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा डीएमआई/सीआईबीआईएल/आरबीआई /
- 8.2 उधारकर्ता डीएमआई को अभी या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या प्रकट करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और उधारकर्ता और/या अन्य को इसके कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए भी जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। इस खंड 8 के प्रावधान वित्तपोषण दस्तावेजों की समाप्ति और उधारकर्ता के बकाया के पुनर्भुगतान के बाद भी लागू रहेंगे।
9. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया**
- 9.1 उधारकर्ता इस बात की पुष्टि, स्वीकृति और सहमति देता है कि वेबसाइट या अन्य इंटरनेट या वेब आधारित माध्यमों से इन नियमों और शर्तों में किए गए किसी भी परिवर्तन सहित ऑनलाइन स्वीकृति के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनता है।
- 9.2 उधारकर्ता को पता है कि इन नियमों और शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों, निर्देशों, स्वीकृतियों और संचार ('संचार') का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, फैक्स, एसएमएस पाठ संदेश, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति, आदि ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') के माध्यम से प्रसारण में धोखाधड़ीपूर्ण परिवर्तन और गलत प्रसारण और गोपनीयता की अनुपस्थिति सहित कई जोखिम शामिल हैं, जिसके लिए डीएमआई उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **मिश्रित**
- 10.1 डीएमआई के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां उधारकर्ता की देयताओं के अस्तित्व और राशि का निर्णायक साक्ष्य होंगी तथा डीएमआई द्वारा प्रस्तुत देयताओं का कोई भी विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा उस पर बाध्यकारी होगा।
- 10.2 यदि एक से अधिक उधारकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किसी स्वीकृत सुविधा के लिए आवेदन किया है, तो उधारकर्ता की देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता का दायित्व संयुक्त और अलग-अलग होगा।
- 10.3 उधारकर्ता सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और डीएमआई द्वारा अपेक्षित डीएमआई के साथ सहयोग करेगा (i) किसी भी आरबीआई दिशा-निर्देशों / निर्देशों का पालन करने के लिए या (ii) डीएमआई को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों का पूरा लाभ देने के लिए। उपर्युक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उधारकर्ता इस बात पर अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि ऐसा करने में विफल होने पर, ऐसे परिवर्तनों को वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल माना जाएगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
- 10.4 किसी भी स्वीकृत ऋण के निलंबन या समाप्ति के बावजूद, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार डीएमआई के सभी अधिकार और उपचार तब तक जारी रहेंगे जब तक कि डीएमआई को उधारकर्ता की बकाया राशि पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाती।
- 10.5 उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि डीएमआई अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना स्वयं या अपने कार्यालय कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने का हकदार होगा और उसके पास एक या एक से अधिक तीसरे पक्ष (जिसे आगे " **सेवा प्रदाता** " कहा जाएगा) को नियुक्त करने का पूरा अधिकार और अधिकार होगा, जैसा कि डीएमआई चुन सकता है और उधारकर्ता से संबंधित जानकारी के स्रोत, पहचान और सत्यापन, प्रशासन, स्वीकृत ऋण की निगरानी और उससे संबंधित सभी वैध कृत्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्ति को ऐसे पक्ष को सौंप सकता है जिसमें नोटिस भेजना, उधारकर्ता से संपर्क करना, डीएमआई के पक्ष में उधारकर्ता से नकद/चेक/डाफ्ट/अधिदेश प्राप्त करना शामिल है। सेवा प्रदाता को उधारकर्ता से देय किसी भी बकाया राशि के लिए ऋणदाता द्वारा वसूली/संग्रह एजेंट के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे वसूली एजेंट का विवरण मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया जाएगा या उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा जब भी डीएमआई द्वारा बदला या अद्यतन किया जाएगा।
- 10.6 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस वित्तपोषण लेनदेन से उसके और डीएमआई के बीच देनदार और लेनदार का रिश्ता बनता है, न कि डीएमआई द्वारा दी गई/दी जाने वाली किसी सेवा के संबंध में। तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान इस लेनदेन पर लागू नहीं होंगे। उधारकर्ता डीएमआई को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय प्रमाण दस्तावेज, निवास दस्तावेज, पता प्रमाण दस्तावेज, पहचान दस्तावेज और व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी वाले अन्य ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जो किसी भी स्वीकृत ऋण को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और वे डीएमआई द्वारा बाद में उन्हें रखने के लिए भी सहमति देते हैं।



- 10.7 उधारकर्ता डीएमआई को उधारकर्ता के पैन नंबर/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाते के विवरण समय-समय पर प्राप्त करने और सीआईबीआईएल, एक्सपेरियन, हंटर रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट बनाने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है, जब भी डीएमआई उचित समझे। उधारकर्ता इसके द्वारा डीएमआई को आधार ई-केवाईसी या अन्यथा द्वारा अपना केवाईसी सत्यापन करने और आधार ई-केवाईसी सहित ऐसे सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करने के लिए अपनी ओर से या अन्यथा आवश्यक सभी कार्यवाहियों को करने और ऐसी जानकारी को किसी भी प्राधिकरण के साथ साझा करने और ऐसी जानकारी को उस तरीके से संग्रहीत करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे वह उचित समझे।
- 10.8 किसी भी घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य संबंधी जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कृत्य, चूक, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के संबंध में डीएमआई और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, उपर्युक्त में से किसी की भौतिकता के संबंध में डीएमआई की राय अंतिम होगी और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।
10. **गंभीरता**  
उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि इन वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत उसका प्रत्येक दायित्व स्वतंत्र है तथा शेष से पृथक है।
11. **शासन कानून और अधिकार क्षेत्र**
- 11.1 सभी स्वीकृत ऋण और वित्तपोषण दस्तावेज भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किए जाएंगे।
- 11.2 इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या इसके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के बारे में या इस समझौते के तहत पक्षों के अधिकार और दायित्वों के बारे में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (" मध्यस्थता अधिनियम ") के प्रावधानों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मध्यस्थता प्रक्रिया अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी और कोई भी पुरस्कार या पुरस्कार अंग्रेजी में दिए जाएंगे। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा और अधिनियम की धारा 29(बी) में निर्धारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही होगी। मध्यस्थता के अंतरिम पुरस्कारों सहित पुरस्कार अंतिम होंगे और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। मध्यस्थ ऐसे पुरस्कार में कोई कारण बताए बिना पुरस्कार पारित कर सकता है।
- 11.3 इसके अलावा, वर्तमान खंड वित्तपोषण दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी लागू रहेगा। दिल्ली, भारत के न्यायालयों को वित्तपोषण दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी या सभी विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र (मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन जो दिल्ली, भारत में भी आयोजित की जानी है) होगा।
12. **नोटिस**
- 12.1 वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में उधारकर्ता को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब उसे उधारकर्ता को दिया जाए या पंजीकृत डाक से उधारकर्ता के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यावसायिक या निजी पते पर भेजा जाए या छोड़ा जाए। पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस उधारकर्ता को पोस्ट किए जाने के 48 घंटों के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। डीएमआई को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब वह डीएमआई द्वारा उसके ऊपर बताए गए पते पर प्राप्त किया गया हो।
- 12.2 स्वीकृत सुविधा के संबंध में उधारकर्ता को किसी भी शिकायत के लिए, वह मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित विवरण के माध्यम से ऋणदाता से संपर्क कर सकता है।
13. **कार्यभार**
- a. ऋणदाता को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व या कर्तव्यों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग हस्तांतरित या सौंपने का अधिकार नहीं होगा। डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं पहुंचाना या किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई तीसरे पक्ष का हित नहीं बनाना।
- b. डीएमआई को किसी भी तरीके से (पूरी तरह या आंशिक रूप से और भागीदारी अधिकारों के अनुदान के माध्यम से) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और / या देनदारियों को बेचने, हस्तांतरित करने, सौंपने या सुरक्षित करने का अधिकार होगा, उधारकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना या उसे सूचित किए बिना, ऐसे तरीके और शर्तों के अनुसार जो डीएमआई तय कर सकता है। ऐसे हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, उधारकर्ता ऐसे असाइनी या ट्रांसफरर के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्व का पालन करेगा और उसे पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता डीएमआई द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर शेष अधिदेश को हस्तांतरित/असाइनी के पक्ष में प्रतिस्थापित करेगा।
14. **हानि से सुरक्षा**  
ऋणकर्ता समय-समय पर और हर समय डीएमआई, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और परामर्शदाताओं को किसी भी देयता, दावे, हानि, निर्णय, क्षति, लागत या व्यय (जिसमें बिना किसी सीमा के, युक्तिसंगत वकील की फीस और व्यय शामिल हैं) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और उनकी रक्षा करेगा, जो ऋणकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम व शर्तों और दायित्वों का पालन करने या निष्पादित करने में विफलता या चूक की घटना या डीएमआई द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ हो, जिसमें ऋणकर्ता के बकायों की किसी भी सुरक्षा या वसूली का प्रवर्तन शामिल है।
15. **परिसंपत्ति वर्गीकरण**  
डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ( "डीएमआई" ) सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहता है कि, **आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों** के अनुसार - भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा 12 नवंबर, 2021 को जारी स्पष्टीकरण, कंपनी नीचे उल्लिखित वर्गीकरण के आधार पर **विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए")** के रूप में वर्गीकृत करके, डिफॉल्ट पर तुरंत उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को पहचान लेगी ;
- "अतिदेय तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन उधारकर्ता खातों को दिन की अंतिम प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- उदाहरण:** यदि ऋण खाते की देय तिथि महीने की 15-मार्च-22 है और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उधारकर्ता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

ईपीआई नियत तिथि	15-मार्च-22	देय तिथि से अधिक दिन (DPD)	-
ईपीआई अतिदेय	15-मार्च-22	0-30	एसएमए0
ईपीआई अतिदेय बनी हुई है (दिन के अंत तक प्रक्रिया प्राप्त नहीं हुई)	14-अप्रैल-22	31-60	एसएमए1
ईपीआई का लंबित रहना	14-मई-22	61-90	एसएमए2
ईपीआई का लंबित रहना	13-जून-22	91 और उससे अधिक	एनपीए

**एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन का संपूर्ण बकाया चुका दिया गया हो।**

**उदाहरण:**

विवरण	परिदृश्य 1*	परिदृश्य 2
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईपीआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय ईपीआई	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
शेष अतिदेय ईपीआई ऋण वर्गीकरण	10,000	-
	उधारकर्ता का निम्नलिखित रूप में रिपोर्ट किया जाता रहेगा संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान होने तक एनपीए	मानक

\*आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/158 डीओआर एसटीआर आरईसी.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी, 2022 के संदर्भ में परिदृश्य 1 (एनपीए के रूप में वर्गीकृत को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।

**टिप्पणी:**

- एनपीए खातों की रिपोर्टिंग अब दैनिक आधार पर की जाएगी।
- डीएमआई से एक से अधिक ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, सभी ऋणों से संबंधित ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का पुनर्भुगतान करने पर ही ऋण खातों को एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा।
- किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए, डीएमआई सभी उधारकर्ताओं से आग्रह करता है कि वे ऋण चुकौती अनुसूची में उल्लिखित देय तिथि के अनुसार अपना ईपीआई भुगतान करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार, दंड से बचने और टॉप-अप ऋण/ऑफर के लिए बेहतर पात्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

16. हम सभी उधारकर्ताओं को ईपीआई का भुगतान करने के लिए <https://portal.dmifinance.in/> पर लॉग इन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

**स्वीकृति:**

मैं/हम जानते हैं कि डीएमआई केवल डीएमआई नीति के अनुरूप वित्तपोषण दस्तावेजों में मेरे/हमारे द्वारा भरी गई सभी शर्तों और विवरणों के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के बाद ही स्वीकृत ऋण प्रदान करने के लिए सहमत होगा। मैं/हम सहमत हैं कि ये नियम और शर्तें डीएमआई द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने या स्वीकृत ऋण के पहले संवितरण की तारीख पर, जो भी पहले हो, कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएंगी।

मैं सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ कि स्वीकृत सुविधा के संबंध में किसी भी विवाद, शिकायत, शिकायत, दावे आदि के लिए सैमसंग किसी भी तरह से उत्तरदायी और/या जिम्मेदार नहीं होगा। स्वीकृत ऋण के संबंध में किसी भी विवाद, शिकायत, शिकायत, दावे आदि का समाधान और /या निपटान DMI द्वारा किया जाएगा।

मैं स्वीकृत ऋण के संबंध में सभी उधारकर्ता बकाए को सुरक्षित करने के लिए डीएमआई के पक्ष में एक सतत सुरक्षा के रूप में उत्पाद को बंधक रखता हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं स्वीकृत ऋण का उपयोग मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूंगा और विशेष रूप से इसका उपयोग (ए) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करूंगा, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (बी) प्राथमिक सोना, सोने की ईट, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

हस्ताक्षर करके या "मैं स्वीकार करता हूँ" पर क्लिक करके/ई-हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता मोबाइल एप्लिकेशन / स्मार्ट टीवी / स्मार्ट थिंग्स या किसी अन्य एप्लिकेशन और सेवाओं (क्रमशः अनुलग्नक डी और अनुलग्नक ई के रूप में इन टीएंडसी से संलग्न) से संबंधित इन टीएंडसी, सेवा की शर्तों ("टीओएस") और गोपनीयता नीति ("पीपी") पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करता है और उनकी शर्तों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। इन नियमों और शर्तों के साथ-साथ TOS और PP को उधारकर्ता द्वारा स्वीकार करने से निम्नलिखित का गठन होगा: (I) उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त के बाध्य होने की सहमति; और (II) उधारकर्ता द्वारा यह स्वीकृति और पुष्टि कि इन नियमों और शर्तों (वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को उधारकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ लिया गया है और पूरी तरह से समझ लिया गया है।